रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-04072023-247020
CG-GJ-E-04072023-247020

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945
No. 469] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 3 जुलाई, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2023

आईएफएससीए/2023-24/जीएन/आरईजी040.—*अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021, (इसके बाद मूल विनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा), में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात्: -*

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

   (2) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड (छ क) डाला जाएगा, अर्थात्: -

“ "पूंजी बाजार मध्यस्थ" का अर्थ विनियम 3 में निर्दिष्ट मध्यस्थ है और यह इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत है;"

3. मूल विनियम के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (थ) के बाद, निम्नलिखित खंड (थक) अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" "वितरक" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो पारिश्रमिक के लिए जारीकर्ता या सेवा प्रदाता की ओर से ग्राहकों के साथ "पूंजी बाजार उत्पादों" या "पूंजी बाजार सेवाओं" में निवेश या अंशदान की सुविधा प्रदान करता है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र संख्या 817/आईएफएससीए/वितरण/2022-23 दिनांक 21 दिसंबर 2022 के तहत परिभाषित किया गया है;"

4. मूल विनियम के विनियम 2 में, उप-विनियम (1) के खंड (घघ) के बाद, निम्नलिखित खंड (घघए) अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

" "रजिस्ट्रीकृत वितरक" का अर्थ इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत वितरक है;"

5. मूल विनियम के विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के तहत खंड (छ) में, शब्द "और" का विलोप कर दिया जाएगा।

6. मूल विनियम के विनियम 3 में, उप-विनियम (1) के खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड (छए) अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"वितरक; और"

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./250/2023-24]

नोट:

1. भारत के राजपत्र: असाधारण में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 को दिनांक 18 अक्टूबर 2021 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरई018 द्वारा प्रकाशित किया गया।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 3rd July, 2023

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

IFSCA/2023-24/GN/REG040.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, (hereinafter referred to as the Principal Regulations), namely: -*

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Principal Regulations, after clause (g) of sub-regulation (1), the following clause (ga) shall be inserted, namely:—

" "capital market intermediary" means an intermediary referred to in regulation 3 and is registered with the Authority under these regulations;"

3. In regulation 2 of the Principal Regulations, after clause (o) of sub-regulation (1), the following clause (oa) shall be inserted, namely:—

" "distributor" means a person who for remuneration engages with clients on behalf of an issuer or a service provider to facilitate investment or subscription into "capital market products" or "capital market services", as defined under circular no.817/IFSCA/Distribution/2022-23 dated December 21, 2022 issued by the Authority;"

4. In regulation 2 of the Principal Regulations, after clause (dd) of sub-regulation (1), the following clause (dda) shall be inserted, namely:—

" "registered distributor" means a distributor registered with the Authority under these regulations;"

5. In regulation 3 of the Principal Regulations, in clause (g) under sub-regulation (1), the word "and" shall be omitted.

6. In regulation 3 of the Principal Regulations, after clause (g) of sub-regulation (1), the following clause (ga) shall be inserted, namely:—

"Distributors; and"

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./250/2023-24]

Note:

1. The International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India: Extraordinary vide notification No. IFSCA/2021-22/GN/REG018 on 18th October 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA